न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक 2015 रिवीजन

सलीम खॉं पुत्र श्री राजमल खॉं, मुसलमान, उम्र 35 वर्ष, व्यवसाय कृषि, निवासी जाट बरखेड़ा, तहसील नटेरन, जिला विदिशा (म0प्र0)

-- आवेदक

बनाम

सुक्कोबाई वैवा बुलका चमार, निवासी ग्राम सियलपुर, तहसील सिरौंज, जिला विदिशा, द्वारा मुख्तारआम खुमनीबाई पत्नी गोरेलाल चमार, निवासी ग्राम सियलपुर, तहसील सिरौंज, जिला विदिशा (म0प्र0)

-- अनावेदक

श्री विनोद श्रीवास्तव अधि. द्वारा आज दि. 20.10.15 को प्रस्तुत
20-10-15
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

16-10-015

निगरानी अन्तर्गत धारा 50(1) म0प्र0 भू-राजस्व संहिता,1959 विरूद्ध न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, सिरौंज, जिला विदिशा के प्रकरण क्रमांक 10/अपील/2015-16 पारित आदेश दिनांक 12.10.2015 से परिवेदित होकर।

माननीय महोदय,

सेवा में आवेदक की ओर से आवेदन पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

1. यहकि, आवेदक द्वारा ग्राम सियलपुर स्थित भूमि खसरा क्रमांक 909 रकवा 1.454 हैक्टेयर में से रकवा 0.253 हैक्टेयर विक्रयपत्र दिनांक 04.11.2011 एवं रकवा 0.126 हैक्टेयर विक्रयपत्र दिनांक 19.12.20111 के आधार पर अपने नाम नामान्तरण कराने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। न्यायालय नायब तहसीलदार वृत्त-5, सिरौंज में प्रकरण क्रमांक 71/अ-6/11-12 दर्ज किया गया। (परिवर्तित नया प्रकरण क्रमांक 32/अ-6/2014-15) दर्ज किया गया।

2. यहकि, अनावेदक को तलब किया गया। अनावेदक द्वारा जबांव प्रस्तुत किया गया, इसके बाद अनावेदक ने पुनः जबाव में संशोधन करने हेतु आदेश 6 नियम 17 सी0पी0सी0 के अन्तर्गत आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसका निराकरण दिनांक 17.10.2013 को किया जाकर

Xxxix(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

प्रकरण कमांक 3402—एक/2000 निगरानी

जिला विदिशा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एंव अभि.के हस्ता.
14/12/15	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी,सिरोंज जिला विदिशा व्दारा प्र. क्र. 10/15–16 अपील में पारित अंतरिम आदेश दिनांक 12–10–2015 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है। 2/ निगरानी की ग्राह्यता पर आवेदक के अभिभाषक को सुना तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, सिरोंज के अंतरिम आदेश दिनांक 12–10–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है , जिसके व्दारा नायव तहसीलदार वृत्त–5 सिरोंज के आदेश दि. 20.9.15 को आगामी तिथी तक स्थगित किया गया है जो 10–11–15 है, जिसे व्यतीत हुए 15 दिवस से अधिक समय हो चुका है जिसके कारण विचाराधीन निगरानी अप्रचलनशील है। अतः निगरानी अप्रचलनशील होने से इसी स्तर पर समाप्त की जाती है। सदस्य	